संख्या–वे0आ0–2– 1976 /दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22–नवम्बर, 2011

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में राजस्व विभाग तथा राज्य सम्पादक, जिला गजेटियर के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा राजस्व विभाग तथा राज्य सम्पादक, जिला गजेटियर के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

(1) राजस्व परिषद के अन्तर्गत विभिन्न अधिष्ठानों/निदेशालय एवं आयुक्त कार्यालय अधिष्ठान/कलेक्ट्रेट कार्यालय अधिष्ठान में विद्यमान सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा की गयी सामान्य संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जायें।

(2) कृषि गणना योजना, पशुगणना योजना तथा सॉख्यिकीय एवं प्रलेखीकरण इकाई में विद्यमान अन्वेषक–कम–संगणक के पदों को सहायक संख्या अधिकारी तथा संख्या सहायक एवं क्षेत्रीय अनुसंधाता पदनाम से विद्यमान पदों को अपर संख्या अधिकारी पदनामित करते हुए इन पदो पर सामान्य सॉख्यिकीय संवर्ग के प्रथम/द्वितीय स्तर के पदो हेतु अनुमन्य किये गये वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन सामान्य संवर्ग के सादृश्य पर अनुमन्य कराये जायें।

(3) सर्वे कानूनगो/पेशी कानूनगो के पदों पर राजस्व निरीक्षक पदों के समान पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(4) सर्वे अधिष्ठान के लेखपाल के पदों पर भू लेख अधिष्ठान लेखपाल पद के समान पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000 अनुमन्य कराया जाय।

(5) राजस्व परिषद के संग्रह अधिष्ठान के अतिरिक्त अन्य अधिष्ठानों में अमीन पदनाम से विद्यमान पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(6) राजस्व परिषद के अन्तर्गत विभिन्न अधिष्ठानों में विद्यमान निम्न श्रेणी सहायक, नैत्यक लिपिक, अहलमद, अभिलेखपाल, न्यायालय लिपिक तथा पेशकार के पदों के लिये लिपिकीय संवर्ग के प्रथम स्तर के पद कनिष्ठ सहायक पद हेतु निर्धारित अर्हता (इण्टरमीडिएट के साथ–साथ कम्प्यूटर संचालन का डोयक (DOEACC) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त "सी0सी0सी0" प्रमाण पत्र तथा हिन्दी/अंग्रेजी में कम से कम क्रमश: 25/30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति) के समान अर्हता निर्धारित करते हुए पुनरीक्षित वेतन संरचना में तदनुसार वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

उक्त अधिष्ठानों के पेशकार, सहायक अभिलेखपाल एवं रीडर के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में तदनुसार वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराये जायें।

(7) विभाग में विद्यमान सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो/रजिस्ट्रार कानूनगो (1082 पदों) एवं भूलेख लिपिक (65 पदों) के पदों को समान वेतनमान के राजस्व निरीक्षक के पदों में संविलीन कर दिया जाय। भविष्य में राजस्व निरीक्षक के इन पदों में से 25 प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा, 55 प्रतिशत पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले लेखपाल के पदों से पदोन्नति द्वारा तथा शेष 20 प्रतिशत पदों को संग्रह अधिष्ठान के अमीन, सर्वे अधिष्ठान के अमीन एवं भूमि अध्याप्ति शाखा के अमीन पदों से उनके स्वीकृत पदों की संख्या के अनुपात में पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था निर्धारित की जाय। इन पदों की सम्मिलित ज्येष्ठता सामान्य कार्मिकों नियमों के अनुसार मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर निर्धारित की जाय।

(8) राजस्व परिषद् के निजी सचिव संवर्ग में वैयक्तिक सहायक के एक पद को आस्थगित करते हुए निजी सचिव संवर्ग में

पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 8700 में एक पद सृजित किया जाय।

(9) राजस्व विभाग के नायब तहसीलदार के पदों पर भर्ती की प्राविधानित वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर भविष्य में इनके 50 प्रतिशत पदों को स्नातक उपाधि वाले अभ्यर्थियों से लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत पदों को 05 वर्ष की सेवा वाले राजस्व निरीक्षक के पदों से पदोन्नति कर भरे जाने की व्यवस्था निर्धारित की जाय।

(10) विभाग में उपलब्ध अन्य पदों के सम्बन्ध में कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। अतः इनके सम्बन्ध में अलग से विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

<u>समिति का सुझाव</u>

कार्मिक विभाग द्वारा प्रख्यापित सामान्य लिपिकीय नियमावली में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों से कनिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नति का किये गये प्राविधान एवं चकबन्दी विभाग में चेनमैन/फ्लैगमैन के पदों से आयतकर्ता पद पर पदोन्नति हेतु विद्यमान व्यवस्था के सादृश्य पर राजस्व विभाग के अन्तर्गत विद्यमान चेनमैन के पदों के लिये पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही की जाय।

<u>राज्य सम्पादक, जिला गजेटियर</u>

(1) विभाग में विद्यमान सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा की गयी सामान्य संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जायें।

(2) विभाग में विद्यमान अन्य पदों के सम्बन्ध में कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। अतः इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड यथावत् कराये जायें।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या–वे0आ0–2– 1976 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1।

2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।